

Title: Requests to change the name of Indian Administrative Service as Indian Development Service.

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान एक विशिष्ट मसले की ओर दिला रहा हूँ। यह वर्ष भारत की आजादी का ५०वां वर्ष है और कुछ दिन बाद हम इस स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन पर फिर से मिलेंगे। हिन्दुस्तान में भारतीय प्रशासनिक सेवा को बहुत प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। आज सदन में ७३वां और ७४वां संविधान संशोधन पारित होने के बावजूद भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो लोग हैं उनकी केन्द्रीय भूमिका चाहे वह राज्य स्तर पर हों, जिला स्तर पर हों या प्रदेश स्तर पर हो, वह बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सदन में क्यों न एक राय हो जाये कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का नाम बदलकर भारतीय विकास सेवा रखा जाये। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को इंडियन डेवलपमेंटल सर्विस किया जाये।

मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद १६७, ३१२ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उसमें जो प्रोविजन है, उसकी उपधारा दो में अखिल भारतीय सेवाओं का नियमन और उसकी जो रियायतें हैं, उसमें कहीं पर यह बाधित नहीं है कि आई.ए.एस. का नाम या पदनाम नहीं बदला जा सकता। इसलिए मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि आई.ए.एस. का नाम आई.डी.एस. किया जाये। धन्यवाद

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासकीय एजेंडे का नाम बदलकर सेवा का एजेंडा बनाइये। शासन का एजेंडा नहीं चलेगा।

श्री चन्द्रशेखर साहू : शासन की बात नहीं है।

श्री आनन्द मोहन : आपके शासन का एजेंडा है।